



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1170]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 4, 2015/ज्येष्ठ 14, 1937

No. 1170]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 4, 2015/JYAISTHA 14, 1937

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जून, 2015

का. आ.1471(अ).- जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 05.07.2006 की अधिसूचना सं. का. आ. 998(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “हेल्थेज इंडिया, सी-14 कुतुब इस्टीमेशनल एरिया, नई दिल्ली-110016” द्वारा “हेल्थेज इंडिया के कार्य के लिए सामान्य कार्पस निधि बनाने” की परियोजना को निर्धारण वर्ष 2006-07 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 16 पर विनिर्दिष्ट किया था, और जिसे बाद में दिनांक 25.06.2009 की अधिसूचना सं. का. आ. 2048(अ) के तहत निर्धारण वर्ष 2009-10 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया और जिसे दिनांक 16.03.2012 की अधिसूचना सं. का. आ. 480 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 को प्रारंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि दिनांक 27.04.2011 के का. आ. 879 (अ) द्वारा कार्पस निधि के रूप में 20 करोड़ रुपए को बढ़ाकर 30 करोड़ रुपए तक बढ़ाया गया था और जबकि दिनांक 16.03.2012 के का. आ. 480(अ) द्वारा कार्पस निधि के रूप में 30 करोड़ रुपए को बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए तक बढ़ाया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के 9 वर्षों से अधिक तक चलने की संभावना है;

और जबकि परियोजना लागत के कार्पस निधि के रूप में 50 करोड़ रुपए से बढ़कर कार्पस निधि के रूप में 100.00 करोड़ रुपए होने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना या स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए परियोजना लागत को कार्पस निधि के रूप में 50 करोड़ रुपए से कार्पस निधि के रूप में 100.00 करोड़ रुपए तक संशोधित करने के लिए सिफारिश की है ।

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा (क) 'हेल्पेज इंडिया, सी-14 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110016" द्वारा चलाई जा रही "हेल्पेज इंडिया के कार्य के लिए सामान्य कार्पस निधि बनाने" की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2015-16, 2016-17 और 2017-2018 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है; और

(ख) दिनांक 05.07.2006 की उक्त अधिसूचना सं. का. आ. 998(अ) को निम्नलिखित आशय के लिए और संशोधित करती है, नामतः-

उक्त अधिसूचना में धारा 35 क ग के तहत कटौती के रूप में अनुमत की जाने वाली अधिकतम राशि से संबंधित क्रम. सं. 16, कालम (4) के सामने सारणी में, "कार्पस निधि के रूप में 50 करोड़ रुपए" अक्षरों, अंकों और शब्दों के लिए "कार्पस निधि के रूप में 100.00 करोड़ रुपए" अक्षर, अंक और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं. 125 /2015/फा. सं. वी -27015/1/2015 एस ओ(रा. स.)]

मकुबन लाल मीना, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)